



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

210-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025 (AGRAHAYANA 27, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 18th December, 2025

No. 39-HLA of 2025/80/28965.— The Haryana Shops and Commercial Establishment (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 39-HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Shops and Commercial Establishments Act, 1958.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|---|---|
| <p>1. (1) This Act may be called the Haryana Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025.</p> <p>(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 12th November, 2025.</p> | <p>Short title and commencement.</p> |
| <p>2. After sub-section (4) of section 1 of the Haryana Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be added, namely :-</p> <p>“(5) The provisions of this Act except section 13A shall apply to the shops and establishments employing twenty or more workers and provisions of section 13A of this Act shall apply to the shops and establishments employing less than twenty workers.”.</p> | <p>Amendment of section 1 of Punjab Act 15 of 1958.</p> |
| <p>3. In section 7 of the principal Act ,-</p> <p>(i) in sub-section (1), for the words "nine hours", the words "ten hours" shall be substituted; and</p> <p>(ii) in sub-section (2), in the proviso, in clause (a), for the word "fifty", the words and sign "one hundred fifty-six" shall be substituted.</p> | <p>Amendment of section 7 of Punjab Act 15 of 1958.</p> |

(3731)

Amendment of section 8 of Punjab Act 15 of 1958.

4. In sub-section (1) of section 8 of the principal Act, for the words “ five hours”, the words “six hours” shall be substituted.

Substitution of section 13 of Punjab Act 15 of 1958.

5. For section 13 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely :-

“13. Registration of establishments.- (1) The employer of every establishment employing twenty or more workers shall, within a period of one month from the date of commencement of his business, submit an application online in such form, together with such fee and documents, as may be prescribed, containing-

- (a) the name of the employer and the manager, if any;
- (b) postal address along with GPS location of the establishment;
- (c) name of the establishment;
- (d) number of persons employed in the establishment;
- (e) nature of the business of an establishment; and
- (f) such other particulars, as may be prescribed.

(2) On receipt of an application along with documents and fee, the Inspector shall verify the correctness of the application and documents attached thereto and on being satisfied shall issue online registration certificate to the employer in such form, as may be prescribed within the time limit as notified under the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014).

(3) A registration certificate issued under sub-section (2) shall be valid until it is amended or cancelled upon closing of the establishment or revoked by the Inspector after verification, on such conditions and manner, as may be prescribed.

(4) It shall be the duty of the employer to intimate the Inspector online, any change in the particulars furnished in the application submitted for registration within a period of seven days after the change has taken place, in such form, as may be prescribed.

(5) In case of change with regard to the name of establishment, employer, manager and work force details, the employer shall make an application for amended registration certificate as per the provisions of sub-section (2) and no fee shall be charged for issuance of amended registration certificate.

(6) The employer shall intimate to the Inspector online about closing of the establishment, within thirty days of closing. The Inspector shall, on receiving the information and being satisfied about the correctness, remove the name of such establishment from the register of establishment and cancel the registration certificate.

(7) In case of any contravention of, or failure to comply with the provisions of this section, the employer shall be liable to a penalty which shall not be less than three thousand rupees but may extend to ten thousand rupees for the first violation and in case of second violation, he shall be liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees but may extend to twenty-five thousand rupees:

Provided that in case of continuous subsequent violation, the competent authority, as specified by the Government, may impose penalty at the rate of five hundred rupees for every day.

13A. Intimation of establishment employing less than twenty workers.- The employer of every establishment employing less than twenty workers shall, within a period of one month from the date of commencement of his business, submit online intimation to the Inspector in such form, as may be prescribed. The employer providing intimation shall be provided a Basic Information Performa ID Number.”.

Amendment of section 19 of Punjab Act 15 of 1958.

6. In sub-section (3) of section 19 of the principal Act, for the words and figure “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and brackets “clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023)” shall be substituted.

7. For sub-sections (5) and (6) of section 20 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :-
- “(5) In case of any contravention of the foregoing provisions of this section, the employer of an establishment shall be liable to a penalty not exceeding five hundred rupees for every day during which the contravention occurs or continues.
- (6) If any person with intent to deceive, makes, or causes, or allows to be made, in any such record, register or notice as aforesaid an entry which is to his knowledge false in any material particular, or wilfully omits or causes or allows to be omitted from any such record, register or notice an entry required to be made therein, he shall be liable to a penalty which shall not be less than three thousand rupees but may extend to ten thousand rupees for the first violation and in case of second violation, he shall be liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees but may extend to twenty-five thousand rupees:
- Provided that in case of continuous subsequent violation, the competent authority, as specified by the Government may impose penalty at the rate of five hundred rupees for every day.”.
8. After section 20 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-
- “20A. Appointment letter.- Every employer of an establishment shall furnish to all his employees with the letter of appointment, having affixed the photograph of employee and obtain acknowledgement thereto.
- 20B. Identity card.- Every employer of an establishment shall furnish to every worker an identity card containing such particulars, as may be prescribed.”.
9. For sub-section (2) of section 21 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-
- “(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or wilfully obstructs the inspecting authority in exercise of the powers under this Act or conceals or prevents any employee in an establishment from appearing before or being examined by the authority, shall be liable to a penalty which shall not be less than three thousand rupees but may extend to ten thousand rupees.”.
10. For section 26 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-
- “26. Penalties.- Subject to the other provisions of this Act, whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and no penalty has been provided for such contravention in this Act, shall be liable to a penalty which shall not be less than three thousand rupees but may extend to ten thousand rupees for the first violation and in case of second violation, he shall be liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees but may extend to twenty-five thousand rupees:
- Provided that in case of continuous subsequent violation, the competent authority, as specified by the Government may impose penalty at the rate of five hundred rupees for every day.”.
11. (1) The Haryana Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025 (Haryana Ordinance No. 4 of 2025), is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

Amendment of
section 20 of
Punjab Act 15 of
1958.

Insertion of
section 20A and
20B in Punjab
Act 15 of 1958.

Amendment of
section 21 of
Punjab Act 15 of
1958.

Substitution of
section 26 of
Punjab Act 15 of
1958.

Repeal and
savings.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In pursuance of the Government's objective to reduce compliance burden, promote industrial growth, and align the labour laws with contemporary work practices, a review of selected provisions of the Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958 has been undertaken. The proposed amendments seek to enhance operational flexibility, ensure gender equality, strengthen workers' welfare, and facilitate ease of doing business.

It is proposed to insert a new sub-section under Section 1 of the Act to cover shops and establishments employing twenty or more workers, while those with fewer than twenty workers will be governed only by Section 13-A. The amendment seeks to ensure better protection of workers in larger establishments and simplified compliance for smaller units, thereby promoting balanced labour reforms and ease of doing business.

To promote efficient business operations and ensure better working conditions, certain amendments relating to working hours in shops and commercial establishments are also proposed.

Under Section 7, the daily working hours may be increased from nine to ten hours while retaining the overall weekly limit of forty-eight hours. Additionally, provisions may be amended to increase the permissible limit of overtime work per quarter from 50 hours to 156 hours, enabling shops and commercial establishments to meet peak business demands more efficiently.

It is proposed to amend Section 8 to increase the maximum period of continuous work without rest from five to six hours.

It is proposed to substitute Section 13 to make registration and fee submission fully online, streamlining procedures and easing compliance. Online intimation of establishment closure will be mandatory to ensure accurate records. Establishments with twenty or more workers will register upon reaching the threshold, while those with fewer than twenty workers must submit online intimation within one month of commencement and receive a Basic Information Performa (BIP) ID. Enhanced penalties for non-compliance will strengthen accountability and enforcement.

It is proposed to amend sub-section (3) of Section 19 of the principal Act to substitute the reference to "Section 21 of the Indian Penal Code" with "Section 2(28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023)", aligning the Act with the updated central legislation.

It is proposed to substitute sub-section (6) of Section 20 to decriminalize the provision and increase the fine for violations. This amendment will reduce the burden of prosecution for minor infractions while ensuring stricter financial deterrence, promoting compliance in a more balanced and efficient manner.

It is proposed to insert a new sub-section under Section 20A of the Act to make the issuance of appointment letters to all workers mandatory at the time of employment. This will ensure formalization of employment, promote transparency, and safeguard workers' rights.

It is proposed to increase the penalty amounts under Sections 21 and 26 of the Act. This will enhance deterrence against violations, promote timely compliance by employers, and strengthen enforcement of statutory provisions, thereby ensuring better protection of workers and smooth functioning of establishments.

Since the Haryana Legislative Assembly was not in session, immediate legislative action was required to give effect to the proposed amendments in the Haryana Shops and Commercial Establishments Act, 1958. The reforms introduced through the amendment are integral to the State Government's ongoing initiatives for Ease of Doing Business, decriminalization of minor regulatory offences, and labour law modernization. Any delay in the implementation could adversely affect the momentum of business facilitation and the State's compliance with national EoDB benchmarks. Moreover, the amendment rationalizes working hours, introduces digital registration processes, and removes imprisonment provision measures that are essential to provide clarity, certainty, and relief to business establishments and workers alike. Therefore, in public interest and to ensure continuity of reform without administrative or legal vacuum, it was necessary to promulgate the Ordinance immediately under Article 213(1) of the Constitution of India, rather than await the session of the Haryana Legislative Assembly. Now, the Bill of the same is being introduced in the upcoming session of Haryana Legislative Assembly.

Hence, the amendments need to be incorporated in the Act.

ANIL VIJ,
Labour Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 18th December, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 39-एच०एल०ए०

हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958

को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
(2) यह 12 नवम्बर, 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

"(5) धारा 13क के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध बीस या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे और इस अधिनियम की धारा 13क के उपबंध बीस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे।"
3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,-
(i) उप-धारा (1) में "नौ घण्टों" शब्दों के स्थान पर, "दस घण्टों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
(ii) उप-धारा (2) में, परन्तुक में, खण्ड (क) में, "पचास" शब्द के स्थान पर "एक सौ छप्पन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 7 का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में, "पांच घण्टे" शब्दों के स्थान पर "छह घण्टे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 8 का संशोधन।
5. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"13. प्रतिष्ठानों का पंजीकरण.- (1) बीस या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक, अपने कारबार के प्रारम्भ की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस और दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे-

(क) नियोजक या प्रबन्धक का नाम, यदि कोई हो;

(ख) प्रतिष्ठान की जी.पी.एस. अवस्थिति सहित डाक-पता;

(ग) प्रतिष्ठान का नाम;

(घ) प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या;

(ङ.) प्रतिष्ठान के कारबार की प्रकृति; तथा

(य) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) दस्तावेजों और फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, निरीक्षक, आवेदन और उससे संलग्न दस्तावेजों की यथार्थता की जाँच करेगा और संतुष्टि होने पर नियोजक को ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) के अधीन यथा अधिसूचित समय-सीमा, के भीतर नियोजक को ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी किया गया कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र तब तक वैध रहेगा, जब तक संशोधित नहीं किया जाता या प्रतिष्ठान के बन्द होने पर रद्द नहीं कर दिया जाता या निरीक्षक द्वारा जाँच के पश्चात्, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रतिसंहरण नहीं किया जाता।

(4) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन में दिए गए विवरणों में किसी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन होने के सात दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए में, निरीक्षक को ऑनलाइन दे।

(5) प्रतिष्ठान, नियोजक, प्रबन्धक के नाम और कार्यबल विवरणों के सम्बन्ध में परिवर्तन के मामले में, नियोजक, उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार संशोधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेगा और संशोधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) नियोजक, प्रतिष्ठान के बन्द होने के बारे में, बन्द होने के तीस दिन के भीतर निरीक्षक को ऑनलाइन सूचित करेगा। निरीक्षक, सूचना प्राप्त होने पर और उसकी यथार्थता के बारे में संतुष्ट होने पर, प्रतिष्ठान के रजिस्टर में से ऐसे प्रतिष्ठान का नाम हटा देगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द कर देगा।

(7) इस धारा के उपबन्धों के किसी भी उल्लंघन, अथवा की अनुपालना करने में असफल रहने के मामले में, नियोजक, प्रथम उल्लंघना के लिए, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघना के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघना के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

13क. बीस से कम कर्मचारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान की सूचना.— बीस से कम कर्मचारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोजक, अपने कारबार को प्रारम्भ करने की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर, निरीक्षक को ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करेगा। सूचना देने वाले नियोजक को एक मूल सूचना प्रपत्र आई0डी0 संख्या दी जाएगी।”।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 19 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) में, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21” शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28)” शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 20 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) तथा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(5) इस धारा के पूर्वगामी किसी भी उपबन्ध के किसी उल्लंघन के मामले में, किसी प्रतिष्ठान का कोई नियोजक, ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान उल्लंघन होता है या जारी रहता है, के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच सौ रुपए से अधिक की नहीं हो सकेगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति, धोखा देने के आशय से, यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अभिलेख, पंजी या नोटिस में ऐसी कोई प्रविष्टि, करता है या करवाता है या करने को अनुमत करता है, जो उसकी जानकारी के अनुसार किसी तात्त्विक विशिष्टि की दृष्टि से मिथ्या है, या किसी ऐसे अभिलेख, पंजी या नोटिस से उसमें किए जाने के लिए अपेक्षित किसी प्रविष्टि का जानबूझकर लोप करता है, या लोप करवाता है अथवा लोप करने को अनुमत करता है, तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी, किन्तु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघना के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी, किन्तु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघन के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।”।

1958 के पंजाब अधिनियम 15 में धारा 20क और 20ख का रखा जाना।

8. मूल अधिनियम की धारा 20 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“20क. नियुक्ति पत्र.— किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोजक अपने सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देगा, जिस पर कर्मचारी का फोटो चिपका होगा तथा उसकी पावती प्राप्त करेगा।

20ख. पहचान पत्र.— किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोजक प्रत्येक कर्मकार को एक पहचान पत्र देगा, जिसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे, जो विहित किए जाएं।”

9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 21 का संशोधन।

"(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में निरीक्षण प्राधिकारी को जानबूझकर बाधित करता है अथवा प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी को प्राधिकारी के सामने उपस्थित होने से या प्राधिकारी द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाता है या रोकता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी।"

10. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

1958 के पंजाब अधिनियम 15 की धारा 26 का प्रतिस्थापन।

"26. शास्तियाँ.— इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन, जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है और इस अधिनियम में ऐसे उल्लंघन के लिए किसी शास्ति का उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो तीन हजार रुपये से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और द्वितीय उल्लंघन के मामले में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पाँच हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परन्तु लगातार उत्तरगामी उल्लंघन के मामले में, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपए की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।"

11 (1) हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कि गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप, सरकार के अनुपालन भार को कम करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और श्रम कानूनों को आधुनिक कार्य प्रथाओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य के अनुरूप, पंजाब दुकानात और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अधिनियम, 1958 की चयनित धाराओं की समीक्षा की गई है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य संचालन में लचीलापन बढ़ाना, बड़े प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा और छोटे प्रतिष्ठानों के लिए सरल अनुपालन सुनिश्चित करना, पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन करना, श्रमिकों के कल्याण को सुदृढ़ करना और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

संशोधन के तहत अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत एक नया उप-खंड सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जो उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें बीस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। बीस से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान केवल धारा 13A के तहत विनियमित होंगे। यह संशोधन बड़े प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा और छोटे प्रतिष्ठानों के लिए सरल अनुपालन सुनिश्चित करेगा, मामूली उल्लंघनों के लिए अभियोजन का बोझ कम करेगा, जिससे संतुलित श्रम सुधार और व्यवसाय में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

प्रभावी व्यावसायिक संचालन को बढ़ावा देने और बेहतर कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने हेतु, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य समय से संबंधित कुछ संशोधन भी प्रस्तावित हैं।

धारा 7 के तहत, दैनिक कार्य घंटे नौ से बढ़ाकर दस घंटे किए जाने का प्रस्ताव है, जबकि साप्ताहिक कुल सीमा 48 घंटे बनी रहेगी। धारा 7 के तहत, त्रैमासिक ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे करने का प्रस्ताव है, ताकि प्रतिष्ठान उच्च व्यावसायिक मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें। धारा 8 में लगातार कार्य का अधिकतम समय पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे करने का प्रस्ताव है।

धारा 13 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सके, प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और अनुपालन को सहज बनाया जा सके। प्रतिष्ठान बंद होने की ऑनलाइन सूचना अनिवार्य होगी ताकि रिकॉर्ड सटीक रहें। बीस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान निर्धारित सीमा पर पंजीकरण करेंगे, जबकि बीस से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान एक महीने के भीतर ऑनलाइन सूचना देंगे। अनुपालन न करने पर बढ़ाई गई दंड राशि जवाबदेही और प्रवर्तन को मजबूत करेगी।

उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) में "भारतीय दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (केंद्रीय अधिनियम 45, 2023) की धारा 2(28)" का उल्लेख करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिनियम को केंद्रीय कानून के अद्यतन प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

धारा 20 की उप-धारा (6) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इसके प्रावधान को अपराधमुक्त किया जा सके और उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाया जा सके। इस संशोधन से मामूली उल्लंघनों के लिए अभियोजन का बोझ कम होगा और वित्तीय निवारक उपायों के माध्यम से अनुपालन बढ़ेगा।

धारा 20A के अंतर्गत एक नया उप-खंड सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ताकि सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना अनिवार्य हो। यह रोजगार की औपचारिकता सुनिश्चित करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा।

धारा 21 और 26 के तहत दंड राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे उल्लंघनों के प्रति निवारक प्रभाव बढ़ेगा, नियोक्ताओं द्वारा समय पर अनुपालन सुनिश्चित होगा और कानूनी प्रवर्तन सुदृढ़ होगा, जिससे श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा और प्रतिष्ठानों के सुचारु संचालन की सुविधा मिलेगी।

चूंकि हरियाणा विधान सभा वर्तमान में सत्र में नहीं था एवं पंजाब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अधिनियम, 1958 में प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने हेतु तत्काल विधायी कार्रवाई आवश्यक थी। संशोधन के माध्यम से किए गए सुधार राज्य सरकार की व्यापार करने में सुगमता पहल, छोटे रेगुलेटरी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और श्रम कानूनों के आधुनिकीकरण के प्रयासों के अभिन्न अंग हैं। कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की देशी व्यापार सुगमता की गति और राज्य की राष्ट्रीय व्यापार करने में सुगमतामानकों के अनुपालन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती। इसके अलावा यह संशोधन काम के घंटों को तर्कसंगत बनाता है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं शुरू करता है, और जेल की सजा के प्रावधानों को हटाता है, जो बिजनेस संस्थानों और मजदूरों दोनों की स्पष्टता, निश्चितता और राहत देने के लिए जरूरी है। इसलिए, जनहित में और प्रशासनिक या कानूनी खालीपन के बिना सुधार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा विधानसभा के सत्र का इंतजार करने के बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के तहत अध्यादेश जारी करना अनिवार्य था। अब इस विधेयक को हरियाणा विधानसभा के आने वाले सत्र में पेश किया जा रहा है।

इन संशोधनों को अधिनियम में शामिल करने की जरूरत है।

अनिल विज,
श्रम मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 18 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।